समक्षः— न्यायालय श्रीमान मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (म.प्र.)

PBR/निगरानी/भोपाल/भू-रा/2017/2537 पुनरिक्षण याचिका क्रमांक /2017

मोहम्मद इब्राहीम खाँ आयु वयस्क
आत्मज स्व. श्री अब्दुल्ला खाँ
निवासी— ई—37, बी.डी.ए. कॉलोनी
कोहेफिज़ा, भोपाल, जिला भोपाल —— आवेदक/पुनरिक्षणकर्ता

विरूद्ध

टेलीफोन आपरेटर को—आपरेटिव
सोसायटी मर्यादित भोपाल द्वारा
अध्यक्ष,
एम.एल. राठौर आयु वयस्क
आत्मज श्री सी.एल. राठौर
निवासी— 40, कहकशां फैस—11
कोहेफिजा, भोपाल जिला भोपाल —— आवेदक/प्रत्यार्थी

अभिभावक श्री ..... द्वारा आज दिनांक ..... को पेश।

पुनरिक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता

आवेदक/पुनरिक्षणकर्ता माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत्त भोपाल द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 11/अ—12/2014—15 में पारित आदेश दिनांक 11—6—2015 जिसके आधार पर सीमांकन प्रतिवेदन, पंचनामा फील्ड बुक एवं नक्शा अनुसार प्रत्यार्थी/अनावेदक को भूमि के अंश भाग 0.240 हेक्टयर अर्थात 0.60 एकड़ स्थित ग्राम गोदरमऊ तहसील हुजूर जिला भोपाल पर आवेदक/पुनरिक्षणकर्ता का अवैध कब्जा प्रमाणित किया गया है। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर तथा अपनी असहमति प्रकट करते हुए आवेदक/पुनरिक्षणकता माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरिक्षण याचिका निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है कि :—

प्रकरण के तथ्यः—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक/प्रत्यार्थी द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र धारा 129 मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया, उक्त आवेदन पत्र माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.06.2015 को प्रस्तुत कर सीमांकन

निरन्तर....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / भोपाल / भू.रा. / 2017 / 2537

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2/1/18	प्रकरण के ग्राह्यता के संबंध में प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 11–6–15 के विरूद्ध दिनांक 4–7–17 को डेड़ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है । सीमांकन का सूचना पत्र आवेदक की पत्नी पर तामील किया गया है । आवेदक की ओर से विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण बताये गये हैं, वह विलम्ब का सद्भाविक कारण नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	